संख्या-24/2023/086/18-2-2023/18-2002/18/2022

प्रेषक,

प्रांजल यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0प्र0, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, लखनऊः दिनांकः 21 मार्च, 2023

विषय - PLEDGE : प्लेज योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

अवगत ही हैं कि प्लेज योजना के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0-10/2023/016/18-2-2023/18-2002/18/2022 दिनांक 01.02.2023 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 10 एकड़ से 50 एकड़ तक के औद्योगिक पार्कों को निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किये जाने हेतु योजना लागू की गयी है। उक्त के क्रम में शासनादेश सं0-11/2023/086/18-2-2023/18-2002/18/2022 दिनांक 15.02.2023 द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के कार्यान्वयन संबंधी सामान्य मानकों हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं एवं योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश सं0-18/2023/086/18-2-2023/18-2002/18/2022 दिनांक 10.03.2023 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश (एस0ओ0पी0) भी निर्गत की गयी है।

2- अवगत कराना है कि उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में पुनः निम्नवत निर्देश जारी किये जा रहे है:-

(1) योजना के अन्तर्गत भूमि के चयन के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि योजना का उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये अतिरिक्त औद्योगिक भूखण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अतः नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/यूपीसीडा/अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के द्वारा विकसित/आवंटित औद्योगिक भूमि पर इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण नहीं किया जायेगा।

(2) योजना के अन्तर्गत विकसित पार्कों का नामकरण इस प्रकार किया जायेगा कि नाम के अंत में "प्लेज पार्क" आए। उदाहरणार्थ ‘‘पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्लेज पार्क मथुरा"। नामकरण में प्लेज पार्क अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा। पार्क का नामकरण निम्नवत किया जायेगा:-

‘‘.....(दिया गया नाम).....प्लेज पार्क,.....(जनपद का नाम)"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रांजल यादव
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

अनमोल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।